न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

13

विविध (अपील) वाद संख्या– 07/2015–16

–:आदेश:–

सूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

20/8/19

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक आशीष रंजन, पिता स्व0 एस0एस0प्रसाद, सा0 प्लॉट नं0 196, मनमोहन कॉपरेटिव सोसाईटी, थाना सेक्टर 12, जिला बोकारो द्वारा अंचल अधिकारी, चास के विविध वाद सं0 25/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2015 के विरूद्ध अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

विवादित भूमि				
मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
तेतुलिया	38	35	458	4.70ए0

अपीलार्थी अपने अपील आवेदन में उल्लेख किये है कि राजा मनमोहन सिंह गृह निर्माण समिति के सचिव दिनेश्वर प्रसाद सिंह एवं अन्य से मौजा तेतुलिया के अन्तर्गत खाता सं0 35, प्लॉट सं0 458, रकवा 15डी0 भूमि केवाला सं0 4970 दिनांक 06.06.1989 से करूणा देवी, पति एस0एस0 प्रसाद द्वारा खरीद कर दखलकार है। उक्त भूमि का अंचल कार्यालय, चास द्वारा मुटेशन वाद सं0 907(VII)/2012–13 से जमाबंदी सं0 1501 कायम किया गया है। इन्होने यह भी उल्लेख किया है कि विपक्षी के द्वारा तथ्यों को छिपाकर मेरी खरीदगी भूमि को ही राधेश्याम दुबे एवं शिवजी दुबे द्वारा पृथ्वी राज सिंह एवं राज कपुर सिंह से केवाला सं0 3245 दिनांक 25.03.2011 से रकवा 8डी0 भूमि खरीदकर मुटेशन वाद सं0 1122(VII)/2012–13 के द्वारा जमाबंदी सं0 1528 करवा लिया गया है। अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, चास के कार्यालय में मुटेशन को खारिज करने का अनुरोध किया गया, परन्तु अंचल अधिकारी, चास के द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में अपील दाखिल करने का निदेश दिया गया तत्पश्चात् उक्त मुटेशन को रद्द करने हेतु वर्तमान अपील दाखिल किया गया। अन्त में इनके द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा अपने प्रत्युत्तर में उल्लेख किया गया है कि खतियानी रैयत के वंशज पृथ्वी राज सिंह एवं राज कपुर सिंह से मौजा तेतुलिया, खाता सं0 35, प्लॉट सं0 458, रकवा 8डी0 भूमि को केवाला सं0 3245 दिनांक 23.03.2011 से खरीदकर पक्का बाउण्ड्री एवं घर बनाकर दखलकार है एवं उक्त भूमि का अंचल अधिकारी, चास के द्वारा जांचोपरान्त मुटेशन वाद सं0 1112(VII)/2012–13 के द्वारा जमाबंदी सं0 1528 कायम किया गया है। उक्त भूमि केवाला दातागण को स्वत्व वाद सं0 16/86 से पारित आदेश से प्राप्त है। अन्त में इनके द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष इस वाद में दिनांक 25.10.2018 से लगातार अनुपस्थित है। इस न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को दिनांक 18.06.2019 से अंतिम सूचना दूसरी बार निर्गत किया गया। सूचना प्राप्त करने के बावजूद भी उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे। जिससे स्पष्ट होता है कि इस वाद में अपीलार्थी/द्वितीय पक्ष को कोई अभिरुचि नहीं है। अतः अपील वाद को खारीज करते हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.14 13:50:19 +05:30
Location: 192.168.1.42

लेखापित एवं संशोधित।

20/08/19
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चास।

20/08/19
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चास।